"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मई 2012—ज्येष्ठ 8, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2012

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-26/32/2008.—छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 की इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-12-2008 में निम्नानुसार पढ़ा जाए, अर्थात् :—

1. सरल क्रमांक-2 में, नियम 21 के उप-नियम 3 के खण्ड में, "घ" को "ग" के रूप में पढ़ा जाए.

2. सरल क्रमांक-3 में, नियम 94 के पश्चात् नियम में, "(94-क)" जहां कहीं भी आया हो, को "94-क" के रूप में पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.